कार्यालय आत्मा, पूर्वी सिंहभूम

वर्ष 2021–22 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन'' (SMAE) उपयोजना हेतु आयोजित आत्मा शासकीय निकाय (AGB) की बैठक की कार्यवाही ।

<u>उपस्थिति पंजी अलग से संधारित है।</u>

दिनांक 20.10.2021 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021–22 "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन" योजना के क्रियान्वयन हेतु आत्मा शासकीय निकाय का बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।

सर्व प्रथम जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम के द्वारा माननीय उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, आत्मा एवं आत्मा शासकीय निकाय के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् बैठक उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, आत्मा के निदेशानुसार बैठक प्रारंभ की गयी । वित्तीय वर्ष 2020–21 में किए गए गतिविधियों का उपलब्धि प्रस्तुत किया गया ।

<u>विगत वर्ष 2020–21 की उपलब्धि</u> –

1. केन्द्र प्रायोजित योजना Sub Mission on Agricultural Extension (SMAE) के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में किए गए गतिविधियों का लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि निम्न प्रकार है –

गतिविधियाँ	लक्ष्य	उपलब्धि	विवरण
प्रशिक्षण –			
अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण	1	0	कोविड–19 के कारण अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण नहीं किया गया है।
राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	2	2	Mobile agricultural school & services (MASS), Ranchi में जैविक विधि से सब्जी की उन्नत खेती विषय पर कुल 50 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
जिला स्तरीय प्रशिक्षण	22	22	कुल 660 कृषकों को विभिन्न विषय यथा जैविक विधि से सब्जी की खेती, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, रबी फसल प्रबंधन एवं कीट नियंत्रण, समेकित कृषि प्रणाली, रबी में दलहन/तेलहन फसल की खेती विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है।
परिभ्रमण –			
अन्तर्राजकीय परिभ्रमण	1	1	25 कृषकों को पश्चिम बंगाल के मछली पालन प्रोजेक्ट रामसागर, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, मोईना में परिभ्रमण कराया गया है।
राज्य स्तरीय परिभ्रमण	4	4	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय प्रदेशिक कृषि मेला–सह–एग्रोटेक मेला में 100 कृषकों को परिभ्रमण कराया गया है।
जिला स्तरीय परिभ्रमण	22	22	1. नर्सरी प्रबंधन एवं जैविक खेती, धालभूमगढ़– 300 कृषक 2. ड्रिप इरीगेशन से जैविक सब्जी की खेती, घाटशिला–120 कृषक 3. जरबेरा फुल की खेती, मुसाबनी–240 कृषक कुल लाभान्वित कृषक– 660 कृषक

प्रत्यक्षण –			
कृषि	20	20	मडुआ प्रत्यक्षण– 20 कृषकों के प्रक्षेत्र में प्रत्यक्षण किया गया ।
Allied Sector	20	20	सरसों प्रत्यक्षण–36 कृषक, परवल प्रत्यक्षण–10 कृषकों के प्रक्षेत्र में प्रत्यक्षण किया गया ।
कृषक गोष्ठी –	11	11	सभी 11 प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों में 11 कृषक गोष्ठी का आयोजन BTM/ATM द्वारा किया गया जिसमें कुल 1000 कृषक लाभान्वित हुए ।
क्षमता विकास –	11	11	सभी 11 प्रखण्डों के महिला कृषक समूहों नर्सरी प्रबंधन, मशरूम उत्पादन विषय पर क्षमता विकास प्रशिक्षण BTM/ATM द्वारा किया गया। कुल लाभान्वित महिला कृषक– 134
किसान मेला –	1	1	पटमदा प्रखंड परिसर, में पटमदा दिनांक 10.03.2021 को किसान मेला आयोजन किया गया । जिसमें 550 कृषक लाभान्वित हुए ।
कृषक पाठशाला– (सभी 11 प्रखण्ड)	33	30	सभी 11 प्रखण्डों में BTM/ATM द्वारा चयनित ग्रामों में कुल 30 कृषक पाठशाला का संचालन किया गया। प्रत्यक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित कुल कृषक– 750

<u>प्रस्ताव</u> –

2. केन्द्र प्रायोजित योजना Sub Mission on Agricultural Extension (SMAE) के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के क्रियान्वयन के संबंध में –

इस संबंध में परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 341 दिनांक 30.06.2021 द्वारा Sub Mission on Agricultural Extension (SMAE) के तहत् वर्ष 2021–22 में कुल 265.0122 लाख राशि की स्वीकृति प्राप्त है। जिसका मदवार गतिविधियों का क्रियान्वयन निम्नवत् किया जाना है –

(i) **<u>किसानों का प्रशिक्षण</u>** –

(क) अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि जिला के 25 कृषकों के समूह को राज्य से बाहर पाँच (5) दिनों के लिए 01 समूह में प्रशिक्षण कराने का प्रावधान है । प्रति प्रशिक्षण मो० 1.56 लाख रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। प्रशिक्षण हेतु 01 समूह में 25 कृषकों को आत्मा के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा।

क्रम सं.	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नाम	प्रशिक्षण हेतु ले जाने वाले संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय	सम्भावित अवधि
1	1	Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi, UP	आत्मा	मौसमी एवं बेमौसमी सब्जी फसलों की खेती	नवम्बर 2021

उपरोक्त संस्थान में कृषकों का अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण कराने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थान में कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ख) राजकीय प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि जिला के कृषकों को राज्य के अन्दर 02 समूह प्रति समूह 25 कृषक कुल 50 कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। प्रति प्रशिक्षण मो0 1.25 लाख रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। इस प्रशिक्षण हेतु को प्रखण्ड तकनीकी दल के माध्यम से चयन करने के उपरांत प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी संस्थानों में भेजा जाएगा। राज्य स्तरीय कृषक प्रशिक्षण प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों एवं गैर सरकारी संस्था एवं एग्री प्रेन्योर से कराया जा सकता है। NMAET, आत्मा मार्गदर्शिका, 2018 के कंडिका 5.1.7 पृष्ठ सं0 37 में उल्लेख निदेश के आलोक में कृषक गतिविधि मद के 10 प्रतिशत कार्य गैर सरकारी संस्था, एग्री प्रेन्योर से किया जाने का प्रावधान है ।

राजकीय कृषक प्रशिक्षण निम्नवत् संस्थानों पर किये जाने का प्रस्ताव है –

क्रम सं.	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय	सम्भावित अवधि
1.	2	1. MASS (Mobile Agriculture School & Services) , Ranchi OR 2. BAU, Ranchi OR 3. RKM, KVK, Ranchi	1. ड्रीप एवं स्प्रींकलर विधि से सब्जी एवं अन्य फसलों की खेती 2. पशुओं के रख–रखाव, पोषण एवं प्रबंधन	नवम्बर 2021

कृषकों का राजकीय प्रशिक्षण उपरोक्त संस्थानों में कराने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा विचारोपरांत निम्नवत् संस्थान में कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई–

क्रम सं.	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षण हेतु संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय	सम्भावित अवधि
1.	1	Birsa Krishi Vishwavidhyalaya (BAU) , Ranchi	ड्रीप एवं स्प्रींकलर विधि से सब्जी एवं अन्य फसलों की खेती	नवम्बर 2021
2	1	Ram Krishna Mission (RKM), KVK, Ranchi	पशुओं के रख–रखाव, पोषण एवं प्रबंधन	नवम्बर 2021

ग) जिला अन्तर्गत प्रशिक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि जिला के कृषकों को जिला स्तरीय तीन दिवसीय कुल 22 प्रशिक्षण जिला/प्रखण्ड स्तर पर दिया जाना है। प्रति दल 30 कृषकों के दर से कुल 660 कृषकों हेतु प्रति प्रशिक्षण मो0 36,000/– (छत्तीस हजार) रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है ।

दिनांक 24.07.2021 को आत्मा प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा निम्नवत् विषयों को सम्मिलित कर प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया –

1. मिट्टी नमूनों का संग्रहण, विश्लेषण एवं स्वायल हेल्थ कार्ड की उपयोगिता
2. बीजोपचार
3. समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन
4. समेकित कीट प्रबंधन
5. समेकित कृषि प्रणाली
6. जल प्रबंधन
7. उद्यानिक फसल की खेती
8. कृषि यंत्रों का रख रखाव
9. मशरूम की खेती
10. लाह की खेती
11. खरीफ एवं रबी मौसम में सब्जी की खेती एवं नर्सरी प्रबंधन
12. फुलों की व्यवसायिक खेती एवं प्रबंधन
13. पशु पालन एवं प्रबंधन
14. पशु चारा का उत्पादन एवं प्रबंधन
15. कृत्रिम गर्भाधान (AI)
16. मत्स्य पालन

प्रखण्डवार प्रशिक्षणों की संख्या निम्नवत् है –

प्रखण्ड का नाम	प्रति प्रखंड दो इकाई कुल प्रशिक्षणों की संख्या	कुल किसानों की संख्या	संस्थान / स्थान का नाम
जमशेदपुर, पोटका, पटमदा, बोड़ाम, मुसाबनी, डुमरिया, घाटशिला, धालभूमगढ़, चाकुलिया, बहरागोड़ा, गुड़ाबांधा कुल–11 प्रखण्ड	22	660	पंचायत स्तर पर कृषक प्रक्षेत्र, कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र

उपरोक्त विषयों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में कृषि विज्ञान केन्द्र एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक, विभागीय पदाधिकारी, गैर सरकारी संस्था के तकनीकी विशेषज्ञ एवं प्रगतिशील किसान होंगे।

कृषकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, दारीसाई, घाअशिला, प्रखण्ड परिसर अवस्थित आत्मा के अधीन कार्यरत कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र (ATIC) या सुविधायुक्त पंचायत / सामुदायिक भवन में कराये जाने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति आपेक्षित है ।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रति प्रखंड दो इकाई कुल 60 किसानों का प्रशिक्षण संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) **प्रत्यक्षण** –

(क) कृषि प्रत्यक्षण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 20 कृषि प्रत्यक्षण एवं 20 उद्यान एवं अन्य विषयों पर प्रत्यक्षण करने का प्रावधान है जिसके लिए 4,000 रू0 (चार हजार रूपये) प्रति इकाई की दर से कुल 1.60 लाख राशि कर्णांकित है। प्रति प्रखण्ड निम्नवत् संख्या (इकाई) के अनुसार कुल 11 प्रखण्डों में प्रत्यक्षण के लिए कृषकों का चयन किया जा रहा है। कृषकों का चयन कृषकों के द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) एवं प्रखण्ड कृषक सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा ।

प्रखण्ड का नाम	प्रत्यक्षण– रबी मक्का –सह– फ्रेंचबीन की उन्नत खेती	प्रत्यक्षण– संबंद्ध विभाग– रबी मटर की उन्नत खेती–सह– येलो ट्रैप का प्रभाव
जमशेदपुर, पोटका, पटमदा, बोड़ाम, मुसाबनी, डुमरिया, घाटशिला, धालभूमगढ़, चाकुलिया, बहरागोड़ा, गुड़ाबांधा कुल–11 प्रखण्ड	20	20

प्रत्यक्षण का कार्य आत्मा कार्यालय, प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा क्रियान्वयन की जाएगी। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण उप परियोजना निदेशक, आत्मा, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा कृषकों को दी जाएगी एवं तकनीकी सुविधा कृषि विज्ञान केन्द, दारीसाई एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,घाटशिला से प्राप्त की जाएगी।

उपरोक्त प्रखण्डवार लक्ष्य के अनुसार कुल 40 प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय करने की स्वीकृति आत्मा शासकीय निकाय से आपेक्षित है।

कृषि विज्ञान केन्द, दारीसाई केन्द्र के प्रधान एवं आत्मा शासकीय निकाय के सदस्यों के द्वारा विचारोपरांत प्रत्यक्षण का कार्य निम्नवत् तकनीकों पर करने की स्वीकृति प्रदान की गई –

प्रखण्ड का नाम	प्रत्यक्षण– रबी मक्का –सह– फ्रेंचबीन की उन्नत खेती	प्रत्यक्षण– संबंद्ध विभाग– रबी मटर की वैज्ञानिक तकनीक से उन्नत खेती
जमशेदपुर	02	02
पोटका	02	02
पटमदा	02	02
बोड़ाम	02	02
मुसाबनी	02	02
डुमरिया	01	01

घाटशिला	02	02
धालभूमगढ़	02	02
चाकुलिया	02	02
बहरागोड़ा	02	02
गुड़ाबांधा	01	01

(iii) कृषक परिभ्रमण –

(क) अन्तर्राजकीय परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 01 कृषक समूह (प्रति समुह–25 कृषक) का परिभ्रमण करने का प्रावधान है जिसके लिए 2.00 लाख राशि कर्णांकित है। कृषकों को कृषि एवं उद्यान में खेती की नई तकनीक की जानकारी हेतु कृषकों को राज्य के बाहर परिभ्रमण हेतु आत्मा के माध्यम से कराया जाएगा।

क्रम सं.	विभाग का नाम	परिभ्रमण की संख्या	परिभ्रमण हेतु संस्थान का नाम	परिभ्रमण हेतु ले जाने वाले विभाग / संस्थान का नाम	परिभ्रमण का विषय	संभावित तिथि
1	पशुपालन	1	CPDO (Central Poultry Development Organisation) Bhubneshwer, Oddisha	आत्मा	पॉल्ट्री एव लेयर मुर्गी पालन एवं प्रबंधन	दिसम्बर 2021

दिनांक 24.07.2021 को आयोजित आत्मा प्रबंधन समिति के द्वारा पॉल्ट्री एवं लेयर मुर्गी पालन एवं प्रबंधन विषय पर परिभ्रमण हेतु भुवनेश्वर, उड़ीसा भेजने का सुझाव दिया गया है।

अन्तर्राजकीय परिभ्रमण के तहत कृषकों को उपरोक्त संस्थान में भेजने एवं कर्णांकित मद की राशि व्यय करने हेतु आत्मा शासकीय निकाय से स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थान में कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ख) राजकीय परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 04 ईकाई 100 कृषकों के लिए राजकीय परिभ्रमण का प्रावधान है। इसके लिए प्रति ईकाई मो0 37,500/– रू0 की दर से कुल 1.500 लाख राशि कर्णांकित है जिसके तहत् जिला के कृषकों को राज्य स्तर के कृषि संस्थानों एवं जिला के बाहर अवस्थित अच्छे नर्सरी, कृषक प्रक्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध विभागों के नई तकनीकों से अवगत कराने हेतु परिभ्रमण कराया जाएगा। परिभ्रमण का कार्य निम्नवत् संस्थान/स्थान में किये जाने का प्रस्ताव है –

क्रम सं.	परिभ्रमण की संख्या	परिभ्रमण हेतु संस्थान का नाम एवं इकाई
1.	4	1. राज्य स्तर पर आयोजित कृषि संबंधी कार्यक्रम एवं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में – 02 2. राँची के आसपास के प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्र में – 02

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थानों/स्थानों एवं कृषक प्रक्षेत्र में कृषकों का राजकीय परिभ्रमण कराने एवं कर्णांकित मद की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थान में कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ग) जिला अन्तर्गत परिभ्रमण –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 22 जिला स्तरीय कृषक मो0 9,000/– रू0 प्रति इकाई की दर से कुल 660 कृषकों को परिभ्रमण करने का प्रावधान है। इसके लिए कुल 1.9800 लाख राशि कर्णांकित है। कुल 11 प्रखण्डों हेतु प्रति प्रखण्ड 02, कुल 22 इकाई कृषक परिभ्रमण का कार्य प्रखण्ड में गठित प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT) द्वारा **नवम्बर, 2021 से फरवरी, 2022** में किया जाएगा। कृषकों को निम्नवत् स्थानों, प्रक्षेत्रों, संस्थानों में परिभ्रमण कराया जाएगा –

क्रम सं.	प्रखंड की सं0	परिभ्रमण की संख्या	परिभ्रमण हेतु संस्थान का नाम
1.	11	22 इकाई, कुल किसानों की सं0 660	1. पटमदा एवं बोड़ाम प्रखण्ड के प्रगतिशील कृषक प्रक्षेत्र में परिभ्रमण या 2. कृषि विज्ञान केन्द्र/ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र दारीसाई में या 3. गौशाला केंचुवा खाद इकाई, चाकुलिया या 4. जिला स्तर पर आयोजित कृषि मेला /विकास मेला/ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मेला या 5. घाटशिला अनुमंडल के प्रखण्डों के प्रगतिशील कृषक प्रक्षेत्र में परिभ्रमण या 6. धालभूम अनुमंडल के प्रखण्डों के प्रगतिशील कृषक प्रक्षेत्र में परिभ्रमण या 7. मल्चिंग विधि से खेती, शेडनेट का खेती में उपयोग, कीट रहित नेट हाउस में बिचड़ा उत्पादन ईकाई में परिभ्रमण

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्रों में, जिला स्तरीय कृषि मेला एवं कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषकों का परिभ्रमण कराकर व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थानों / प्रक्षेत्र में कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) **कृषक समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कुल 11 कृषक समूहों का क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण करने का प्रावधान है। मो0 5,000/– रू0 प्रति इकाई की दर से कुल 11 कृषक समूहों के लिए मो0 55,000/– रू0 राशि कर्णांकित है। महिला समूहों को पोषण वाटिका एवं मशरूम उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा क्षमता विकास प्रशिक्षण मद में व्यय करने की स्वीकृति आपेक्षित है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त संस्थान में कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) **जिला स्तरीय किसान मेला** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 में 01 किसान मेला का आयोजन करने हेतु जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 4.00 लाख रूपये कर्णांकित है। किसान मेला का आयोजन माह जनवरी, 2022 एवं फरवरी, 2022 में जिला के दोनों अनुमंडल में आयोजित किया जाने का प्रस्ताव है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा किसान मेला हेतु स्थल का निर्धारण करते हुए मेला का आयोजन कर उक्त मद में व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।
आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(vi) **प्रचार–प्रसार पुस्तिका का मुद्रण** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 में जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार प्रचार–प्रसार पुस्तिका का मुद्रण का कराया जाना है जिसके तहत् Farm Information Dissemination through printed leaflets, Social Media मद में 1.00 लाख रू0 एवं Low Cost Publication मद में 7.9200 लाख रू0 राशि कर्णांकित है। जिसके तहत प्रचार–प्रसार पुस्तिका का मुद्रण कराया जाना है।

क्रमांक	प्रचार–प्रसार पुस्तिका का नाम
1.	आत्मा की गतिविधियां एक नजर में (पत्रिका)
2.	प्रगतिशील कृषकों के सफलता की कहानी
3.	मौसमी एवं बेमौसमी सब्जी की खेती
4	दलहन एवं तेलहन की खेती

5	मिट्टी नमूनों का संग्रहण, विश्लेषण एवं स्वायल हेल्थ कार्ड की उपयोगिता
6	समेकित कृषि प्रणाली
7	बीजोपचार
8	केंचुआ खाद का उत्पादन
10	विभिन्न प्रजति के मशरूम उत्पादन
11	समेकित कीट प्रबंधन
12	ड्रीप एवं स्प्रींकलर सिंचाई प्रणाली
13	पशुपालन की उन्नत तकनीक
14	डेयरी प्रबंधन
15	पशुचारा उत्पादन
16	मत्स्य पालन की उन्नत तकनीक
17	फुलों की व्यवसायिक खेती एवं प्रबंधन
18	उद्यानिक फसल की खेती
19	मल्चिंग विधि से खेती
20	शेडनेट पर बिचड़ा उत्पादन
21	परवल की खेती
22	रसायनिक खाद विभिन्न फसलों में प्रयोग एवं अनुशंसित मात्रा

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रसार पुस्तिका का मुद्रण हेतु व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।
आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(vii) **कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार 02 कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन का आयोजन प्रखण्ड स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किया जाना है जिसके लिए मो0 40,000/– रू0 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है।

निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 998 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा प्रति इकाई 5,000/– की दर से कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन कार्यक्रम करने का निर्देश प्राप्त है। जिसके तहत कुल 8 कार्यक्रम निम्नवत् संख्या के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्र एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, घाटशिला के सहयोग से कराया जाएगा –

क्रम सं.	प्रखण्ड का नाम	कृषक वैज्ञानिक अंर्तमिलन की संख्या	क्रियान्वयन में सहयोग करने वाले संस्थान का नाम
1.	पोटका	1	कृषि विज्ञान केन्द्र, दारीसाई, घाटशिला एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,घाटशिला
2.	जमशेदपुर	1	
3.	पटमदा	1	
4.	बोड़ाम	1	
5.	घाटशिला	1	
6.	धालभूमगढ़	1	

7.	चाकुलिया	1	
8.	मुसाबनी	1	
	कुल –	**8**	

आत्मा शासकीय निकाय से उपरोक्त गतिविधि हेतु व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(viii) **किसान गोष्ठी/प्रक्षेत्र दिवस** –

परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) के अनुसार 22 किसान गोष्ठी/प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन प्रखण्ड स्तर पर किया जाना है । प्रति किसान गोष्ठी/प्रक्षेत्र दिवस मो0 15,000/– रू0 कुल 3.300 लाख राशि कर्णांकित है।

निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 998 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा प्रति इकाई 5,000/– की दर से किसान गोष्ठी/प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम करने का निर्देश प्राप्त है। जिसके तहत कुल 66 किसान गोष्ठी/प्रक्षेत्र दिवस प्रखण्ड तकनीकी दल द्वारा खरीफ एवं रबी मौसम में कराया जाएगा जो निम्नवत् है –

क्रम सं.	प्रखण्ड का नाम	किसान गोष्ठी/प्रक्षेत्र दिवस की संख्या	क्रियान्वयन करने वाले संस्थान का नाम
1.	जमशेदपुर	6	प्रखण्ड तकनीकी दल (BTT)
2.	पोटका	6	
3.	पटमदा	6	
4.	बोड़ाम	6	
5.	घाटशिला	6	
6.	धालभूमगढ़	6	
7.	चाकुलिया	6	
8.	गुड़ाबांदा	6	
9.	बहरागोड़ा	6	
10.	मुसाबनी	6	
11.	डुमरिया	6	
	कुल –	**66**	

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रखण्डवार लक्षित संख्यानुसार किसान गोष्ठी आयोजित कर व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा किसान गोष्ठी / प्रक्षेत्र दिवस कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ix) **कृषक पाठशाला** –

परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में 33 कृषक पाठशाला की स्थापना करने का प्रावधान है जिसका संचालन ग्राम/पंचायत स्तर पर कृषि के नये तकनीकों का प्रसार हेतु प्रत्यक्षण के माध्यम से किया जाना है। प्रति कृषक पाठशाला की स्थापना हेतु मो0 29,414/– रूपये जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में कर्णांकित है। उन्नत तकनीक से खेती कर अधिक से अधिक फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 33 कृषक पाठशाला की संख्या प्रखण्डवार निम्न प्रकार है –

कम सं0	प्रखंड	कृषक पाठशाला में संचालित तकनीक का नाम
1	पोटका	मटर की लाईन विधि से खेती
2		मटर की उन्नत खेती
3		मटर की उन्नत खेती
4	जमशेदपुर	मशरूम का उत्पादन
5		मशरूम का उत्पादन
6		फुलगोभी की उन्नत खेती
7	पटमदा	SWI गेहूँ की खेती
8		मटर की उन्नत खेती
9		मटर की उन्नत खेती
10	बोड़ाम	मटर की उन्नत खेती
11		मटर की उन्नत खेती
12		SWI गेहूँ की खेती
13	घाटशिला	मटर की उन्नत खेती
14		मटर की उन्नत खेती
15		मटर की उन्नत खेती
16	धालभूमगड़	लाईन सोविंग से धान की खेती
17		सरसों में कीट प्रबंधन
18		चने की उन्नत खेती
19	चाकुलिया	ड्रम सीडर से धान की खेती
20		मक्का की उन्नत खेती
21		गेहूँ की उन्नत खेती
22	बहरागोड़ा	वैज्ञानिक विधि से धान की सीधी बुआई
23		मशरूम उत्पादन तकनीक
24		लाईन विधि से गेहूँ की बुआई
25	गुड़ाबांदा	वैज्ञानिक विधि से बैगन की खेती
26		वैज्ञानिक विधि से धान की सीधी बुआई
27		लाईन विधि से गेहूँ की बुआई
28	मुसाबनी	मटर की खेती
29		मटर की खेती
30		मशरूम की खेती
31	डुमरिया	संकर प्रभेद का गोभी का उन्नत खेती
32		स्टेकिंग विधि से टमाटर की खेती
33		मटर और गोभी की खेती

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त कुल 33 कृषक पाठशाला के संचालन हेतु व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(x) आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंसन योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत प्रसार कर्मियों का वर्ष 2021–22 हेतु सेवा अवधि विस्तार एवं मानदेय भुगतान की स्वीकृति –

परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना (DEWP) में आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजनान्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी एवं प्रसार कर्मियों को मानदेय भुगतान हेतु वेतन मद में कुल 123.276 लाख राशि (ई0पी0एफ0 सहित) स्वीकृत है। आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजनान्तर्गत जिलावार एवं प्रखण्डवार कार्यरत कर्मी निम्नवत् है –

क्रम सं0	कर्मियों का नाम	पदनाम	पदस्थापन	मानदेय की राशि (लाख में)	कार्य अवधि (वर्ष)
1	गीता कुमारी	उप परियोजना निदेशक	जिला कार्यालय	0.65600	11
2	नीलम जोंको	लेखापाल–सह–लिपिक	जिला कार्यालय (निदेशक समेति के पत्रांक 666 दिनांक 29.06.2018 के आलोक में)	0.31500	12
3	अर्जुन सोरेन	कम्प्युटर ऑपरेटर	जिला कार्यालय	0.26300	12
4	तरूण महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदस्थापित प्रखण्ड बोड़ाम प्रतिनियुक्त जिला कार्यालय	0.30300	5
5	कौशल कुमार झा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पोटका	0.41000	10
6	संधीर कुमार खलखो	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड धालभूमगढ़ प्रतिनियुक्त कृषि निदेशालय, रॉची	0.41000	9
7	प्रतिमा बानरा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड मुसाबनी	0.41000	10
8	बोधादित्य हॉसदा	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड चाकुलिया	0.37000	5
9	प्रबीर कुमार	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बहरागोड़ा	0.37000	5
10	बृजेश कुमार	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड घाटशिला	0.37000	5
11	अनिता कुमारी	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड जमशेदपुर	0.30300	5
12	शशीकला महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड जमशेदपुर	0.30300	5
13	शशिकला कुमारी	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदस्थापित प्रखण्ड जमशेदपुर प्रतिनियुक्त कृषि निदेशालय, रॉंची	0.32500	10
14	प्रतिमा महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पोटका	0.30300	5
15	धरमेन्द्रनाथ महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पोटका	0.30300	5

16	सुशील कुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पटमदा	0.32500	10
17	राजकुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदास्थापित प्रखण्ड पटमदा प्रतिनियुक्त आत्मा कार्यालय प0 सिंहभूम, चाईबासा	0.32500	10
18	चैताली दत्ता	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड पटमदा	0.30300	5
19	फुलकेश्वर महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बोड़ाम	0.30300	5
20	जितेन्द्रनाथ रूहीदास	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बोड़ाम	0.30300	5
21	सालगे सोरेन	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड मुसाबनी	0.30300	5
22	राजु सरदार	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड डुमरिया	0.30300	5
23	दिलेश्वर महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड घाटशिला	0.30300	5
24	कुमारी लक्ष्मी सोरेन	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड घाटशिला	0.30300	5
25	रसोराज महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड धालभूमगढ़	0.30300	5
26	हिरनमय महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड चाकुलिया	0.30300	5
27	अमित कुमार	सहायक तकनीकी प्रबंधक	पदास्थापित प्रखण्ड चाकुलिया प्रतिनियुक्त आत्मा कार्यालय प0 सिंहभूम, चाईबासा	0.30300	5
28	बासुदेव प्रसाद महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बहरागोड़ा	0.30300	5
29	निर्मल कुमार महतो	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड बहरागोड़ा	0.30300	5
30	दीपक कुमार नायक	सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड गुड़ाबाधा	0.30300	5

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा प्रसार कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में उनके उपस्थिति के अनुसार मानदेय का भुगतान करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

जिला कृषि पदाधिकारी– सह– परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा बतलाया गया कि लेखापाल–सह–लिपिक सुश्री नीलम जोंको पूर्व में आत्मा द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना में कार्यरत थी । दिनांक 30.04.2014 को मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना के बंद होने के उपरांत दिनांक 20.01.2016 को उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय (AGB) की बैठक में सुश्री नीलम जोंको को दैनिक मजदुरी पर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना में कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त है ।

निदेशक समेति, झारखंड के पत्रांक 666 दिनांक 29.06.2018 के द्वारा आत्मा में लेखापाल –सह– लिपिक हेतु सभी अर्हता रखने एवं दिनांक 06.07.2009 से अबतक 12 वर्ष के लंबे कार्यानुभव को देखते हुए आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना में संविदा के रूप में समायोजन करने के संबंध में प्रस्ताव पर विचार हेतु पत्र प्राप्त हुआ है ।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा सुश्री नीलम जोंको को आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना में संविदा में समायोजन हेतु उपायुक्त के स्थापना शाखा के माध्यम से संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया ।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना में संविदा में कार्यरत सभी प्रसार कर्मियों को उपस्थिति के अनुसार मानदेय का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान किया गया ।

(XI) आत्मा – समेति सहायय् अनुदान मद –

वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में निदेशक समेति, झारखंड, राँची द्वारा आत्मा–समेति सहायय् अनुदान मद में प्राप्त है, जो 31 मार्च, 2021 में निम्नवत् राशि अवशेष है –

विवरणी	संविदा / अनुबंध वेतन	यात्रा भत्ता/ किराये का वाहन	अन्यान व्यय	लघु निर्माण / सुसज्जीकरण/ रंगरोगन इत्यादि	प्रचार प्रसार/ नई तकनीकों का मुद्रण (फोल्डर, लिफलेट, पंपलेट, बुकलेट)	आत्मा कार्यालय में किसानोपयोगी पुस्तकालय की स्थापना	उपस्करों का रखरखाव	कृषक पाठशाला	जिला स्तरीय प्रशिक्षण	STRY	कुल योग
अवशेष राशि	**1.88461**	**1.00**	**1.19537**	**3.09809**	**0.96208**	**0.18745**	**2.68476**	**0.27056**	**0.02094**	**0.075**	**11.37886**

परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि वर्ष 2020–21 में आत्मा – समेति सहायय् अनुदान मद में कुल 11.37886 लाख राशि अवशेष है चालू वर्ष में उल्लेखित प्राप्त मद में ही व्यय करने की स्वीकृति अपेक्षित है ।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा आत्मा – समेति सहायय् अनुदान मद के अवशेष राशि के व्यय हेतु जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति प्राप्त करने से संबंधित मार्गदर्शन पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है ।

(XII) अन्यान – पदस्थापित प्रसार कर्मियों का स्थानांतरण –

परियोजना निदेशक, आत्मा ने बताया कि आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंसन योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक प्रसार – प्रचार का कार्य हेतू पदस्थापित है । जिनकी पदस्थापना उपायुक्त सह अध्यक्ष, आत्मा के अध्यक्षता में परियोजना निदेशक के द्वारा नियमानुसार किया जाता है । जिला में पदस्थापित अधिकतर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक स्थानीय है । उपरोक्त प्रसार कर्मियों के द्वारा समय – समय पर प्रखंड स्थानांतरण के लिए मौखिक एवं लिखित आवेदन दिया जाता है ।

दिनांक 11.10.2021 को बहरागोड़ा प्रखंड में पदस्थापित श्री बासुदेव प्रसाद महतो, सहायक तकनीकी प्रबंधक के द्वारा घरेलू समस्या बतलाते हुए धालभूमगढ़ प्रखंड में स्थानांतरण के लिए आवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है ।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा उपरोक्त विषय पर विचार अपेक्षित है ।

आत्मा शासकीय निकाय द्वारा विचार स्थगित रखा गया ।

(XIII) अन्यान – आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंसन योजनान्तर्गत कार्यरत किसान मित्रों से संबंधित प्रतिवेदन

उपायुक्त – सह – अध्यक्ष, आत्मा द्वारा बैठक के क्रम में आत्मा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंसन योजनान्तर्गत कार्यरत एवं निष्क्रिय किसान मित्रों से संबंधित जानकारी का पृक्षा किया गया ।

जिला कृषि पदाधिकारी– सह– परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा बतलाया गया कि जिला में 823 किसान मित्र के लक्ष्य के विरूद्व 141 किसान मित्र निष्क्रिय है ।
आत्मा शासकीय निकाय द्वारा 141 किसान मित्र के स्थान पर किसान मित्र चयन **संकल्प** के अनुसार चयन करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी– सह– परियोजना निदेशक, आत्मा को दिया ।

सभा के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक......351...... /आत्मा, दिनांक......08.....वीं नवम्बर, 2021 ।
प्रतिलिपि : आत्मा शासकीय निकाय (AGB) के माननीय सभी सदस्यगण, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ सर्मर्पित।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक......351...... /आत्मा, दिनांक......08.....वीं नवम्बर, 2021 ।
प्रतिलिपि : 1. उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, आत्मा / उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
2. निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची।
3. कृषि निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी (SMAE), झारखण्ड, राँची।
4. सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।